फर्द अहकाम

न्यायालय: APO III

दयेवरा बनाम प्रा.प.कृषि फार्म

मुकदमा संख्या / वर्ष 07/2019 : _____ / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25-24	श्रीमान् कलक्टर जयपुर के आदेश 437 दि0 1-3-24 के अनुसार पत्रावली पेश [illegible] अधिकारी अन्य P.O. अवकाश पर [illegible] है। अतः [illegible] पत्रावली दिनांक 16-5-24 पेश हो।
	16.5.24	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार/अधि0 अनुपस्थित पूर्व में बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जा चुका है अतः और बहस नहीं करना चाहते। पत्रावली दि0 23-5-24 को पेश हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
	23.5.24	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार अधिवक्ता अनुपस्थित। कारण बाबत आवाज दिलाई गई बावजूद निगरानीकार अधिवक्ता अनुपस्थित पूर्व में लम्बे समय तक बहस स्थगित रही है परन्तु बार-बार समय चाहा गया इससे यह प्रतीत होता है कि निगरानीकार अधि0 बहस नहीं करना चाहते प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते। निगरानीकार/अधिवक्ता असालतन वकालतन अनुपस्थित रहने से निगरानी निगरानीकार अदम हाजरी अदम पैरवी सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दर्फ नम्बर में कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर